न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 50/2017/डिक्री

1. वहीद खां पिता सत्तार खां मुसलमान मृतक के बजाय–
   1. अब्दुल हमीद पिता अब्दुल वहीद खां
   2. आबिद खां पिता अब्दुल वहीद खां
      निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   3. मु0 बीवी पुत्री अब्दुल वहीद खां
      निवासी निम्बाहेडा हाल मुकाम नीमच मध्यप्रदेश
   4. मु0 शमीम पुत्री अब्दुल वहीद खां
      निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. मु0 उल्फत बेगम पिता सत्तार खां पत्नि वजीर मोहम्मद मृतक के बजाय–
   1. नासिर खां पिता वजीर खां
   2. मो0 सईद खां पिता वजीर खां
      निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   3. अजीम मोहम्मद पिता वजीर खां
      निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   4. मु0 आमना बेगम पुत्री वजीर खां पत्नि बहादर खा
      निवासी जामा मजिस्द के पास निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   5. मु0 आशिया बेगम पुत्री वजीर खां पत्नि जाकिर खां
      निवासी जामा मजिस्द के पास निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   6. मु0 रजिया बेगम पुत्री वजीर खां पत्नि नन्नु खां
      निवासी जामा मजिस्द के पास निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. मु0 बानो पुत्री सत्तार खां पत्नि नन्ने खां मुसलमान
   निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. गुलफाम पिता अब्दुल गनी खां मृतक के बजाय –
   1. फारूख पिता गुलफाम खां
   2. जाहिद खां पिता गुलफाम खां
   3. शाहिद खां पिता गुलफाम खां
   4. सईद खां पिता गुलफाम खां
   5. नाहिद खां पिता गुलफाम खां
   6. मु0 नुरी पुत्री गुलफाम खां पत्नि वहीद खां
   7. मु0 निलोफर पुत्री गुलफाम खां पत्नि फरीद खां
      सभी निवासी बापु बस्ती निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. अजीज खां पिता अब्दुल गनी खां मुसलमान– मृतक के बजाय
   1. युसुफ पिता अजीज खां
   2. जावेद पिता अजीज खां
      दोनो निवासी ईश्काबाद निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. सरदार खां पिता मुनीर खां
   निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मु0 बुन्दो बेगम बेवा बाबु खां
   निवासी निम्बाहेडा।
2. लतीफ खां पिता सत्तार खां मृतक के बजाय–
   1. हनीफ खां पिता लतीफ खां
   2. अनवर पिता लतीफ खां
   3. मु0 फरीदा बी पुत्री लतीफ खां पत्नि इकबाल खां
   तीनो निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेडा।
   4.मु0 फिरदोस पुत्री लतीफ खां पत्नि मुनीर अली
   निवासी कच्ची बस्ती काली मूर्ति के पास उदयपुर।
   5. मु0 नजमा पुत्री लतीफ खां पत्नि बब्बु खां
   निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेडा।
   6. मु0 अल्लादी पुत्री लतीफ खां पत्नि मेहमूद खां
   निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेडा।
   7. मु0 परवीन पुत्री लतीफ खां पत्नि हफीज खां
   निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेडा।
3. मु0 अख्तर बेगम पुत्री गनी खां पत्नि फकीर मोहम्मद
   1. मु0 परवीन पुत्री फकीर मोहम्मद पत्नि रफीक खां
   2. अकबर खां पिता फकीर मोहम्मद
   3. चांद खां पिता फकीर मोहम्मद
   4. असलम खां पिता फकीर मोहम्मद
   सभी निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेडा।
   5. मु0 नसरीन पुत्री फकीर मोहम्मद
   निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेडा।
4. मु0 शमशाद बेगम पुत्री अब्दुल गनी खां
   निवासी निम्बाहेडा।
5. राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 18/06/2016 प्रकरण संख्या 09/2016

उपस्थित – 1. श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री मदन त्रिपाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–3/1, 3/3, 2/2, 2/5

निर्णय दिनांक : 14.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जावदा तहसील निम्बाहेडा के आराजी नम्बर 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा यह

भूमि पहले बाबू खां पिता सत्तार खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडा के खातेदारी की थी। बाबु खां ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 17/05/1997 को बिल एवज 1500/– रू0 मे यह जमीन अपने पिता सत्तार खां को बेच दी और विक्रय पत्र लिखकर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से सत्तार खां का कब्जा चला आ रहा है। सत्तार खां की मृत्यु हो चुकी की उनके वारिसान रिकार्ड पर है। दिनांक 15/05/1967 से जमीन सत्तार खां ने खरीद ली है और सत्तार खां की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि से वादीगण उक्त जमीन पर अपना हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी है चूंकि राजस्व अभिलेखो मे बाबू खां के नाम दर्ज थी और बाबू खां के मरने के बाद प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हुई इसलिये विरासत से उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज कराने के घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दावे का विरोध किया है और विक्रय पत्र से इंकार किया है इस पर न्यायालय ने दोनो पक्षो के अभिवचन बनाकर गवाह सबूत लिये परन्तु प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के गवाह सबूत लेकर वादीगण का दावा खारीज कर दिया । इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय करने मे कानूनी भूल की है। सत्तार खां ने विक्रय किया है और उसे वादीगण ने बखूबी साबित कराया है तथा बाबू खां की विरासत के बारे मे भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गलत फाईन्डिग दी है। अधीनस्थ न्यायलय ने दिनांक 17/05/1997 के विक्रय पत्र को वादीगण ने अटेस्टिग विटनेस यानि गवाह हासिया को पेश कर साबित कराया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे साबित नही मानकर वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध कर अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया है क्योकि सम्पत्ति बाबू खां की नही थी और बाबू खां ने यह सम्पत्ति सत्तार खां को बेच दी थी इसलिये जाहिदा जो बाबू खां की पुत्री है वह इस प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 व 4 का निर्णय भी वादीगण के खिलाफ करने मे वैधानिक भूल की है। इसी प्रकार तनकी नम्बर 5 से 8 का कोई निर्णय नही कर अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया है और निर्णय के अन्दर इन सभी वाद विषयो का निर्णय करना आवश्यक था जो आदेश 20 नियम 6 सीपीसी के तहत आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 02/11/2016 को हुआ है जिसकी जानकारी अपीलान्टस को नही थी। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के

निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादीगण रेस्पोडेन्टस का दावा डिक्री करने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि बाबू खां की दावे से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। दावा बाबू खां के भाई ने पेश किया। विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम मौजा जावदा तहसील निम्बाहेडा के खसरा नम्बर 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा हो लेकर विवाद है जिसका बाबू खां अकेला खातेदार है। वाद पत्र के पैरा 3 मे विस्तृत सजरा का उल्लेख है। मृत्यु के पूर्व ही दिनांक 17/05/1957 को उक्त भूमि पिता श्री सत्तार खां को स्टॉम्प पर लिखापढी कर बेच दी गई जो पंजीबद्ध नही है तथा नही उक्त इंतकाल दर्ज हुआ है। बाबू खां के एक पत्नि मु0 बुन्दो तथा पुत्री जाहिदा है जिन्हे पार्टी नही बनाया गया है। वाद के विचाराधीन होने के दौरान मॉ–बेटी ने भूमि मोहम्मद करीम को दिनांक 11/05/2015 को बेच दी जिन्हे पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि को ध्यान मे रखे बिना निर्णय पारित किया गया है तथा उक्त विक्रयनामा पर विचार नही किया गया है। इस सम्बन्ध मे लिखित मे विस्तृत बहस भी प्रस्तुत हुई है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 3/3, 2/2 तथा 2/5 भी उक्त भूमि मे अपना हक व हिस्सा रखते है। अतः उन्हे भी उनका हिस्सा व हक दिलाया जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए मुस्लिम विधि के अनुसार तनकीयात कायम किये बिना निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नही है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 382/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 02/11/2016 अपास्त किया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार मुस्लिम विधि के तहत पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित

किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़